अति महत्वपूर्ण

मेल द्वारा

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड

Website-http://pwd.uk.gov.in E-Mail - eicpwduk@nic.in

पत्रांक 1202 / 09 सा0पु0 / 16 देहरादून, दिनांक 11 नवम्बर, 2016

: परिपत्र :

लोक निर्माण विभाग में पिछले दिनों वैली ब्रिजेज के क्षतिग्रस्त होने की सूचनायें प्राप्त हो रही है, जिसका मुख्य कारण यह देखा गया कि वैली ब्रिजेज कम लोडिंग वाले निर्मित थे तथा उसके ऊपर अधिक भार वाले वाहनों का आवागमन होने के कारण क्षतिग्रस्त हुए। जैसा कि आपको ज्ञात है कि वैली ब्रिज वस्तुतः अस्थाई ब्रिज है तथा तात्कालिक एवं यथाशीघ्र यातायात उपलब्ध कराये जाने हेतु अस्थाई तौर पर कम भार वाले वाहनों हेतु लगाये जाते है। वैली ब्रिज बाजार में 9R से लेकर 70 R एवं क्लास–बी तथा क्लास–ए लोडिंग हेतु उपलब्ध है। जिनको कि अपनी आवश्यकतानुसार उपयोग में लाया जाता है। अतः यह देखना अत्यन्त आवश्यक है कि मार्ग पर यातायात के अधिकतम भार वाले वाहन के अनुसार किस मार्ग पर कौन सा वैली ब्रिज लगाया जाना उपयुक्त होगा अन्यथा ये पुल सदैव असुरक्षित रहेगें। ये ब्रिज अस्थाई एवं अर्धस्थायी दो कैटेगरी में सामान्यतः उपलब्ध है। अतः फील्ड इंजीनियर को वैली ब्रिज लगाने से पूर्व समस्त विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए ही इनका उपयोग करना चाहिए तथा ब्रिज लगाने से पूर्व जनता एवं जनप्रतिनिधियों को भी उपलब्ध वैली ब्रिज के सम्बन्ध में अवगत कराना चाहिए। क्योंकि विभाग की प्रथम वरीयता सुरक्षित यातायात उपलब्ध कराया जाना है।

अतः निर्दिष्ट किया जाता है कि आप के क्षेत्र में जितनी भी वैली ब्रिज लगाये गये हैं यथाशीघ्र उनकी भार वाहन क्षमता अवश्य देख लें एवं तदानुसार ही वाहन का आवागमन सुनिश्चित करें। कार्यस्थल पर लोडिंग के नियंत्रण के सम्बन्ध में समस्त तरीके अपनाये जाये। जैसा कि Signages, Informatory board, गैन्ट्री लगाना आदि। अन्यथा अनुपालन न किये जाने की दशा में फील्ड स्तर के अधिकारी पूर्णतः जिम्मेदार होगें।

ह0/–
(एच0के उप्रेती)
प्रमुख अभियन्ता

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर–।/।।, (सिविल/ए0डी0बी0/आपदा/पी0एम0जी0एस0वाई0 /वर्ल्ड बैंक), लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, (सिविल/ए0डी0बी0/आपदा/पी0एम0जी0एस0वाई0/वर्ल्ड बैंक), लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
4. समस्त अधिशासी अभियन्ता, (सिविल/ए0डी0बी0/आपदा/पी0एम0जी0एस0वाई0/वर्ल्ड बैंक), लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
5. समस्त तकनीकी अधिकारी, विभागाध्यक्ष कार्यालय।
6. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0, विभागाध्यक्ष कार्यालय को वेबसाइट पर अपलोड़ करने हेतु।
7. गार्ड फाइल।

VI

11/11/16

प्रमुख अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग